पत्र संख्या–3 / टी0–01–10 / 2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः– **बिहार स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन के पश्चात् विभिन्न नये पदों पर पदस्थापन के फलस्वरूप पुराने पदों पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों के अतिरेक होने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व में विभिन्न जिलों में जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला फाईलेरिया पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी एवं जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी के पदों पर चिकित्सा पदाधिकारी का पदस्थापन किया जाता रहा है।

2– बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक–378(10) दिनांक–21–07–2014 द्वारा बिहार स्वास्थ्य सेवा के पुनर्गठन के पश्चात् उक्त पदों के स्थान पर प्रत्येक जिला में दो नये पद यथा, जिला भेक्टर बौर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी एवं अपर उपाधीक्षक–सह–सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, संचारी रोग के पदों का सृजन होने के कारण इन पदों पर चिकित्सा पदाधिकारियों का पदस्थापन किया गया है। इसके फलस्वरूप पूर्व से विभिन्न जिलों में पदस्थापित जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला फाईलेरिया पदाधिकारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी एवं जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी अतिरेक हो गये हैं।

3– अतः निदेशानुसार कहना है कि इन पदों पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी, जो अतिरेक हो गये हैं, को पदस्थापित जिला में ही चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर सामंजित कर कृत कार्रवाई की सूचना एक पक्ष में अन्दर विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / –

(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

D/Vimal/C.S.Prasad/Letter

ज्ञाप संख्या— 437 (3) पटना, दिनांक— 12.10.15

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—2 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/10/2015

सरकार के संयुक्त सचिव।

D/Vimal/C.S.Prasad/Letter